

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

मदालत उपखण्ड अखिलेश्वरी मुकाम चिन्मण्ड
 रमता राम बनाम रमेशचन्द्र
 म मुकदमा पार्थना पत्र नं. 310 सन् 2019
(2019/00525)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स/जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28 ⁹ / ₂₀₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। अखिलेश्वरी उच्चपक्ष उपस्थित। अखिलेश्वरी विपक्षी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए जो शामिल मिश्रण किए जाते। बहल पार्थना बाबर कन्सोलेट कराये जाने अखिलेश्वरी पक्षी जुनी गयी। अखिलेश्वरी विपक्षी ने बहल पार्थना पत्र लिखित प्रस्तुत की जो शामिल मिश्रण की जाते। हमने पत्रावली का अवलोकन कर पक्षी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र 04/4/2022, विपक्षी/पक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब 04/4/2022 एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहल अखिलेश्वरी उच्चपक्ष या मगत किया। प्रस्तुत प्रमाण पत्र कर्तव्य धारा 136 पर भ्रष्ट एवं प्रमाण वाद प्रस्ताव 25/2004 दोनो में राजस्व रेकार्ड से नापूजात पित्त विश्वेश्वर लाल ब्रह्मण सा. जयपुर खडमदार का नाम विलोपित किए जाने की राय चाही गई है। ऐसी स्थिति विपक्षी/पक्षी 0 द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र दिनांक 04/4/2022 स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया</p>	

(रमेश सुन्दर किशोर्दे)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चिन्मण्ड, (राज.)

जाकर प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र
310/2019 को वार संख्या 25/2004
के लागू कलब किए जाने के आदेश दिए
जाते हैं एवं इस प्रकरण में कार्यवाही
इसी तरह पर समाप्त किए जाने के आदेश
दिए जाते हैं। इस प्रकरण को वार संख्या
25/2004 के लागू संलग्न किया जावे।
वार संख्या 25/2004 का निर्णय इस
प्रकरण में भी प्रमाणी रहेगा। इस प्रकरण
की गणना निर्धारित में की जाकर प्रमाणी
वार संख्या 25/2004 (अन्यायी) रामचन्द्र
शिवनारायण के लागू संलग्न
किया जावे। आदेश लिखा था जाकर
सरे इजमाल खुलाया गया।

(प्रथम सुन्दर विनोद)
सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी
चिन्नीबाह (सज.)